

भारतीय लोकतंत्र के बदलते आयाम

¹डॉ० अनुपमा श्रीवास्तव

¹एसो० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ज०ला०ने०मे०परा० महाविद्यालय, बाराबंकी (उ०प्र०)

Received: 12 Jan 2020, Accepted: 19 Jan 2020, Published on line: 30 Jan 2020

Abstract

लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली ही नहीं अपितु एक जीवन दर्शन भी है। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र की प्राणवायु उसकी समानता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व की भावना का प्रधान होना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतंत्र की सफलतापूर्वक प्रतिस्थापना के बावजूद भारत में सभी तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सका है, जिसका प्रमुख कारण भारत की सामाजिक संरचना एवं मूल्यों में अन्तर है। अनेक समस्याओं के बावजूद भारतीय लोकतंत्र में स्थायित्व और निरन्तरता बनी हुयी है। भारतीय जनमानस के विचारों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात हो रही है। विकास और रोजगार के मुद्दे आम चुनावों में महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। ये समस्त लक्षण भारतीय लोकतंत्र के परिपक्व होने के संकेत दे रहे हैं।

शब्द पूंजी:— लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, चुनाव, आरक्षण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक संरचना, समता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व।

Introduction

आज लोकतंत्र को विश्व की सबसे आदर्श शासन प्रणाली के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति एवं राज्य का एक प्रकार ही नहीं अपितु यह समाज की एक व्यवस्था व जीवन दर्शन भी है। लोकतांत्रिक राज्य के लिये एक लोकतांत्रिक समाज का होना अत्यन्त आवश्यक है जिसमें समता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व की भावना प्रधान होती है। स्वतन्त्रता, समानता व बन्धुत्व ऐसे मूल्य हैं जो लोकतंत्र को सफल व सार्थक बनाते हैं।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों व आदर्शों को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है ताकि इनकी उपेक्षा अपने निहित स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति हेतु किसी के द्वारा भी न किया जा सके। भारतीय समाज का एक बड़ा भाग सदियों तक अमानवीय यातनाओं, वर्णगत और जातिगत विषमताओं, जातीय अहंकार एवं जातीय उच्चता एवं निम्नता के जाल में जकड़ा रहा है। आजादी के बाद भी समाज का बड़ा हिस्सा राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। समाज की मुख्य

धारा से अलग इस वर्ग को मुख्य राष्ट्रीय धारा से जोड़ने व सामाजिक तथा राजनीतिक समानता स्थापित करने हेतु भारत के संविधान निर्माताओं ने इन्हें संसद विधानसभाओं के साथ ही सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में भी इनके लिये आरक्षण की व्यवस्था की ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के लिये विकास के समान अवसर उपलब्ध हो सके और सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विषमता की खाई में पड़े लोगों की प्रगति के लिये कुछ विशेष अवसर प्रदान किये जा सकें। जिसका लाभ भी इन वर्गों को हुआ। आरक्षण की सुविधा के कारण इन वर्गों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला और संसद एवं राज्य विधान मण्डलों में इनका राजनैतिक नेतृत्व भी विकसित हुआ।

भारत में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अपनी निरंतरता बनाये हुये है, किन्तु यह उन मूल्यों को पूर्ण रूप से विकसित करने एवं एक लोकतांत्रिक समाज व जीवन दर्शन को विकसित करने में अभी भी मीलों दूर है। क्योंकि भारत में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया गया वह भारतीय जनमानस की मूल प्रवृत्तियों, जीवन शैली व संस्कृति से मेल नहीं खाता था। प्रजातंत्र के लिये कुछ विशेष आदतों, मनोभावों व अभिवृत्तियों का होना आवश्यक है। इन्हें धीरे-धीरे ही विकसित किया जा सकता है। सर्व सत्ताधारी व्यवस्था के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो रातो-रात स्थापित किया जा सकता है। ऐतिहासिक व संवैधानिक दृष्टि से भले ही एक निश्चित तिथि पर यह परिवर्तन सम्भव हो जाये, किन्तु व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन में अनेकों वर्ष लग जाते हैं क्योंकि लोगों की सोच एवं प्रवृत्ति बदलने में समय लगता है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतंत्र की सफलतापूर्वक प्रतिस्थापना के बावजूद भारत में सभी तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सका है जिसका प्रमुख कारण भारत की सामाजिक संरचना एवं मूल्यों में अन्तर है।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था भले ही ऊपर से पूर्णरूप से स्वस्थ दिखाई पड़ती हैं परन्तु वह अन्दर ही अन्दर पूर्णतः खोखली होती जा रही है। आज आम चुनाव केवल एक मखौल बनकर रह गये हैं, क्योंकि राजनैतिक दल अपना नैतिक आधार खोते जा रहे हैं और वह सत्ता प्राप्ति को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में अनेक दशकों तक कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज रहा है। विगत तीन दशकों से इस स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में देश बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के युग में

परिवेश कर गया है और भारत में अनेक राजनीतिक दलों का आविर्भाव हुआ है। इन राजनीतिक दलों में अधिकांश का आधार जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं अगड़ा-पिछड़ावाद है। फलस्वरूप भारतीय राजनीति जातिवाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद व अगड़े-पिछड़े के विवाद में फंसकर भारतीय लोकतंत्र को पूर्णतः खोखला करती जा रही है और उसके लिये आवश्यक आदर्शों एवं मानकों को स्थापित करने के बजाए उन्हें क्षतिग्रस्त करती जा रही है। परिणाम स्वरूप जातीय हिंसा, साम्प्रदायिक दंगे उपद्रव, अनैतिक राजनीति, साम्प्रदायिकता व जातीय तुष्टीकरण की राजनीति का बोलबाला है। इन समस्याओं की प्रमुख जड़ निम्नस्तरीय दलीय नीतियां हैं। अधिसंख्यक राजनीतिक दल भेदभावमूलक नीतियों को बढ़ावा देकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। फलस्वरूप उनका झुकाव निरन्तर जातिवाद एवं धार्मिक विवादों की ओर होता जा रहा है। जाति का राजनीतिकरण एवं राजनीति का जातीयकरण हो गया है। यही कारण है कि आरक्षण की व्यवस्था केवल दस वर्षों के लिये की गई थी। वह आज कई वर्षों के बाद भी हटाई नहीं जा सकी है।

संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा में से उपजे अपेक्षाकृत सबल वर्ग ने अपनी स्थिति का लाभ अपने समाज के विशाल वर्ग को शिक्षित एवं जागरूक करने व उन्हें पिछड़ेपन की खाई से बाहर निकालने, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने व एक समरस समाज का निर्माण करने के लिये नहीं किया। वह त्याग का मार्ग अपनाने की अपेक्षा अपने लिए अधिक सुख-सुविधाएं बटोरने और सत्ता के गलियारे में प्रवेश पाने की कोशिशों में लग गया। एक प्रकार से वह स्वयं भी इन वंचित एवं पिछड़े वर्गों के बीच एक अभिजात वर्ग बन गया हैं, जो अपने ही जाति एवं वर्ग से दूर रहना चाहता है। आरक्षण की सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए छोटे से शक्तिशाली वर्ग ने आरक्षण नीति में निहित स्वार्थ पैदा कर लिया है और अपने ही जाति के दीन-हीन लोगों को वह उसका लाभ उठाने से वंचित रखना चाहती है। यदि ऐसा न होता तो एक पीढ़ी में आरक्षण की सुविधा लेने, आरक्षण की सीढ़ी से पदोन्नति न पाने और क्रीमीलेयर को आरक्षण की सुविधा से वंचित रखने के प्रयत्नों का इतना कड़ा विरोध न होता। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का आज के वोट गणित में महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके कारण राजनीतिक आरक्षण की इस सुविधा को हर दस वर्ष बाद संविधान में संशोधन करके बढ़ाया जाता रहा है और जिस तरह से संसद के सदनों में कोई भी राजनैतिक दल इस आरक्षण के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। उससे यह स्पष्ट है कि सभी दल आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें समानता के मौलिक अधिकार से वंचित अधिसंख्यक जनता की कोई चिन्ता

नहीं है। भारत को यदि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को बनाये रखना है और एक समतापूर्ण समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें आरक्षण नीति के हानि एवं लाभ का वस्तुपरक मूल्यांकन करना होगा और इसको वोट एवं सत्ता की राजनीति के दलदल से बाहर कर उसको सामाजिक एवं राजनीतिक प्रयासों से हल करने के उपाय खोजने होंगे।

भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं ने मताधिकार के महत्व को समझा है जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिये एक अच्छा संकेत है लेकिन इसके साथ ही साथ धनबल एवं बाहुबल का प्रयोग तेजी से बढ़ा रहा है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। सत्ता प्राप्ति के लिये दल परिवर्तन, राजनीतिक दलों की आन्तरिक गुटबन्दी आदि ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर किया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत एवं सुदृढ़ करने के बजाय वे जातिगत, साम्प्रदायिक, भाषागत एवं क्षेत्रीयता के आधार पर अपने जनाधार को सुदृढ़ करने और उसे बढ़ाने पर अधिक बल देते हैं। इन सभी हानिकारक तत्वों ने भारतीय प्रजातंत्र को और अधिक कमजोर किया है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र भ्रष्टाचार, अपराध, भाई-भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद आदि ऐसी अनेक बुराईयों का गढ़ बनता जा रहा है जिन्हें जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी।

लोकतंत्र बहुमत का शासन है और जो राजनैतिक दल बहुमत प्राप्त करता है वह बहुमत के बल पर विपक्षी राजनैतिक दलों की उचित बातों पर भी ध्यान नहीं देता है और मनमाने ढंग से शासन सत्ता का प्रयोग करता है। आज प्रजातंत्र का चौथा आधार स्तम्भ माना जाने वाला प्रेस तथा मीडिया भी लोकतंत्र की जड़ें खोदने का कार्य कर रहे हैं। वे भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं पैसों की लालच में पार्टी विशेष के पक्ष में समाचार प्रसारित करने का चलन बढ़ रहा है। इसका भारतीय लोकतंत्र पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था का तानाबाना या जाल माना जाता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न विचारों एवं सूचनाओं के प्रवाह का और भी अधिक महत्व एवं उपयोगिता रहती है।

इन अनेकों समस्याओं के बावजूद भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल है। भारतीय लोकतंत्र में लगभग 70 वर्षों से अनेक दबावों व विरोधाभासों के बावजूद सदैव स्थायित्व एवं निरन्तरता बनी हुई है। इसका राजनीतिक समाजिक आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू एक ओर आशा व विश्वास तो दूसरी ओर निराशा व अविश्वास के बीच निरन्तर झूलता रहता है। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में निराश एवं हताश होने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती है।

भारतीय लोकतंत्र में बुराईयां केवल उसकी अपरिपक्वता के कारण ही और अनुभव बढ़ने के साथ ही साथ दूर हो सकेगी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्व नैतिक और शैक्षिक है। लोकतांत्रिक शिक्षा, चिन्तन अनुभव एवं जागरूकता के द्वारा जनता इन दोषों को स्वयं ही दूर कर सकती है। जागरूक एवं स्वस्थ जनमत ही एक स्वस्थ सरकार का निर्माण कर सकती है और राजनीतिक व्यवस्था के दोषों को स्वयं ही दूर कर सकती है लोकतंत्र के लिये आवश्यक है कि जनता में अपनी सच्चाई व ईमानदारी के लिये गर्व हो आत्मनिर्भरता का संकल्प हो और आत्मगौरव की विनम्र भावना हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान अधिकार, समान कानून और समान अवसर एवं स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

भारतीय जनमानस के विचारों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के एक छत्र राज को जनता ने समाप्त किया। मिली जुली सरकारों के दोषों को देखते हुये पूर्ण बहुमत वाली सरकारों का गठन हो रहा है और जो भी राजनैतिक दल जनमानस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है उसे सत्ता से हटाकर अन्य राजनीतिक दलों को मौका दिया जा रहा है जातिवाद व क्षेत्रवाद के बंधन ढीले पड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त राजनीति की बात हो रही है। विकास एवं रोजगार के मुद्दे आम चुनाव में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं यह समस्त लक्षण भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता एवं उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

संदर्भ:

1. भांभरी, सी0पी0, भारत में लोकतंत्र, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत तृतीय संस्करण 2015, पृष्ठ 24
2. गेना, सी0पी0, तुलनात्मक राजनीति विकास पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, पृष्ठ 435
3. नांरग, ए0एस0, भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, आनन्द लोक, नई दिल्ली, संस्करण 2010-11, पृष्ठ-452